



जालौन पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. मानवेन्द्र सिंह 2. देवन्द्र सिंह पुत्रगण राजबहादुर निवासीगण सहाव थाना जालौन जनपद जालौन द्वारा समाज विरोधी क्रिया कलाप में संलिप्त होकर आमजनमानस को डरा धमकाकर अपने आर्थिक लाभ हेतु भय व दहशत फैलाने के सम्बन्ध में थाना जालौन में मु0अ0सं0 375/2002 (वाद संख्या- 204/2003) द्वारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 06.03.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी/सीएडब्ल्यू/जीएसटी कोर्ट उर्द्द जनपद जालौन द्वारा उपरोक्त समस्त अभियुक्तगण को दोषी पाते हुये 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000-10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



शिवदास पाण्डे वि0 लोक
अभियोजक गैंग0 एक्ट



कोर्ट पैरोकार सत्येन्द्र